(311)

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक 133 /नि0अ0क0/सेवा का अधि.अधि0–2011/सि.चार्टर/2018–19दिनांक 15 मई, 2018

विषयः– **सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के प्राविधानानुसार विभागीय सेवाओं हेतु सिटीजन चार्टर निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र सं0 2197/XVII–3/2017–03(28)/2016 दिनांक 30.11.2017, जिसके साथ संलग्न सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग के शासनादेश दिनांक दिनांक 23 अगस्त, 2016, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के प्राविधानानुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित जिन योजनाओं के गाईडलाइन्स/नियमावली का प्रस्ताव शासन स्तर पर गतिमान है, ऐसी योजनाओं के अतिरिक्त अन्य शेष विभागीय सेवाओं के संबंध में सिटीजन चार्टर तैयार कर प्रकाशित करते हुए राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किये जाने के संबंध में तत्काल अग्रेत्तर समयबद्ध कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग तथा शासन को भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 23.08.2016, के प्रस्तर–3(ii) में दिये गये निर्देशों के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित सिटीजन चार्टर/नागरिक अधिकार–पत्र तैयार किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशालय के आदेश सं0 120 दिनांक 07.05.2018, के द्वारा एक कोर–ग्रुप का गठन करते हुए दिनांक 07.05.2018, को अपराह्न 5:00 बजे बैठक आहूत की गयी, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित नागरिक अधिकार–पत्र को अनुमोदित किया गया।

3. अतः उक्त आहूत बैठक दिनांक 07.05.2018 में अनुमोदित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित नागरिक अधिकार–पत्र के प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त नागरिक अधिकार–पत्र को राज्य सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने से पूर्व शासन का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
15.5.2018
(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को उक्त नागरिक अधिकार–पत्र की प्रस्ताव की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशालय के अधीन समस्त अधिष्ठानों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

नागरिक घोषणा पत्र

1. उद्देश्य:

"भारत का संविधान" में देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है।

2. अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक, सर्वधर्म समभाव एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रतिबद्व हैं।

3. उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनपदवार अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	अल्पसंख्यकों की जनसंख्या	अल्पसंख्यकों का प्रतिशत।
1	हरिद्वार	1890422	673571	35.63
2	ऊधमसिंह नगर।	1648902	542342	32.89
3	देहरादून।	1696694	268822	15.84
4	नैनीताल।	954605	144178	15.10
5	पौडी गढवाल।	687271	25981	3.78
6	अल्मोडा।	622506	10135	1.63
7	टिहरी गढवाल	618931	8433	1.36
8	चम्पावत।	259648	9951	3.83
9	पिथौरागढ़।	483439	7874	1.63
10	चमोली।	391605	5347	1.37
11	उत्तरकाशी।	330086	4711	1.43
12	बागेश्वर	259898	1992	0.77
13	रूद्रप्रयाग।	242285	1708	0.70
TOTAL		**10086292**	**1705045**	**16.90**

क्रम सं0 / विवरण	मुस्लिम	सिख	ईसाई	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल योग
1. जनसंख्या	1,406,825	236,340	37,781	14,926	9,183	-	**1,705,055**
2. प्रतिशत	13.95%	2.34%	0.37%	0.15%	0.09%	-	**16.90%**

2. हमारी दृष्टिः

उत्तराखण्ड राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यकों क्रमशः मुस्लिम, सिख, ईसाइ, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु कृत संकल्प है। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गो के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन 02 दिसम्बर, 2011 को हुआ है। इससे पूर्व अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाओं का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता था।

3. हमारा मिशनः

अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति योजनायें, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंन्ट की योजना, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु वित्त एवं विकास निगम तथा निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण की स्थापना राज्य के भौगोलिक आकार, जनसंख्या एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठन किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मदरसों में दीनी तालीम के अलावा आधुनिक विषयों की शिक्षा तथा कम्प्यूटर शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के माध्यम से अनुदान एवं मार्जिन मनी की सुविधा विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए संबंधित वर्गो को उपलब्ध कराई जा रही है ।

अल्पसंख्यकों हेतु मुख्य कल्याणकारी योजनायें/सेवायें

1. अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सहायतित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायतित लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अभिभावकों की आय ₹ 1.00 लाख से कम होना तथा छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा भारत सरकार की छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरे जाने की कार्यवाही सामान्यतः माह जून–जुलाई से प्रारम्भ हो जाती है।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रम सं0	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क	वास्तविक या ₹500 प्रतिवर्ष	वास्तविक या ₹500 प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क	वास्तविक या ₹350 प्रतिमाह	वास्तविक या ₹350 प्रतिमाह

3.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।		
	(i) कक्षा 1 से 5	शून्य	₹100 प्रतिमाह
	(ii) कक्षा 6 से 10	वास्तविक या ₹600 प्रतिमाह	₹100 प्रतिमाह

2. अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की कुल आय रुपये 2.50 लाख (वार्षिक) से अधिक न हों एवं जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्राविधिक एवं व्यवसायिक कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, के लिये किया गया है। छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा भारत सरकार की छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरे जाने की कार्यवाही सामान्यतः माह जून–जुलाई से प्रारम्भ हो जाती है।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रम सं0	वित्तीय सहायता का प्रकार	हॉस्टल में रहने वालों क लिए दर	दिवा स्कालरों के लिए दर
1.	भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए)	₹10,000/–प्रतिवर्ष (₹1000 प्रतिमाह)	₹5,000/– प्रतिवर्ष (₹500 प्रतिमाह)
2.	पाठ्यक्रम शुल्क	₹20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	₹20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
	कुल	₹30,000/–	₹25,000/–

3. अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राऐं, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो, एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से कक्षा 11 से पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा भारत सरकार की छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरे जाने की कार्यवाही सामान्यतः माह जून–जुलाई से प्रारम्भ हो जाती है।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रम सं0	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 11 और 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम ₹7,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम 7,000 प्रतिवर्ष

2.	कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)	वास्तविक, अधिकतम ₹10,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम 10,000 प्रतिवर्ष
3.	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम ₹3,000प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम ₹3,000 प्रतिवर्ष
4.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)		
	(i) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित	₹380प्रतिमास	₹230 प्रतिमास
	(i) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।	₹570 प्रतिमास	₹300प्रतिमास

4. मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना (SPQEM) (100% के0स0)

प्रदेश में स्थित ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसों, जिनमें दीनी शिक्षा के साथ ही आधुनिक विषय यथा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि पढ़ाने की व्यवस्था हो, इन आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक को ₹3,000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जाता था, जिसे भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित करते हुए, स्नातक, को ₹6000/– परास्नातक एवं बी.एड. को ₹12,000/– की दर से मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट www.mhrd.gov.in अथवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट www.minoritywelfare.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

5. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना (75% के0स0) (IDMI)

प्रदेश में स्थित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना विकास हेतु 75% की धनराशि का अनुदान केन्द्र द्वारा दिया जाता है तथा शेष 25% अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को स्वयं वहन करना पड़ता हैं। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ₹ 50.00 लाख तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट www.mhrd.gov.in अथवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट www.minoritywelfare.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

6. अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट योजना(100% के0स0) (MSDP)

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि से संबंधित अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एम.एस.डी.पी. योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर, हरिद्वार के 05 विकासखण्ड (भगवानपुर, रूडकी, नारसन, बहादराबाद एवं लकसर) एवं 01 वन ग्राम तथा पौडी में 01 वनग्राम एवं जनपद उधमसिंह नगर में 01 वन ग्राम व 05 विकासखण्ड (सितारगंज, रूद्रपुर, जसपुर, बाजपुर एवं काशीपुर)

भारत सरकार से अनुमोदित हैं। उक्त चिन्हीकरण जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर किया गया है। उक्त योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट www.mhrd.gov.in अथवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट www.minoritywelfare.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

7. पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित)

इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुना से अधिक नहीं हो, को छात्रवृति दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से यह योजना पूर्णतः एन.आई.सी. के सहयोग से छात्रवृत्ति पोर्टल minorityscholarship.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरे जाने की कार्यवाही सामान्यतः माह जुलाई–अगस्त से प्रारम्भ हो जाती है। पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक निम्न मानकों/दरों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। :–

वर्ग	छात्रवृत्ति के मानक			अवधि (अधिकतम)
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति	कक्षा	दर प्रतिमाह	माता–पिता की आय सीमा	
	1–5	₹50/-	गरीबी की रेखा के दुगनी आय तक वार्षिक आय	12 माह
	6–8	₹ 80/-		12 माह
	9–10	₹120/-		12 माह

8. अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापनाः–(राज्य पोषित)

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी मॉग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु ₹4.00 करोड से अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जो योजनाएं यद्यपि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित है, लेकिन अल्पसंख्यक क्षेत्र/ग्राम में क्रिटिकल गैप के कारण विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों के क्रिटिकल गैप को पूर्ण किये जाने हेतु उक्त योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान समय में उक्त योजनान्तर्गत बारातघर का निर्माण, सी.सी.मार्ग का निर्माण, मदरसों में अध्ययनत् छात्र/छात्राओं हेतु फर्नीचर, वाटर प्यूरीफायर, विद्युत उपकरण एवं शौचालय निर्माण संबंधी कार्य स्वीकृत किये गये है।

9. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य/कब्रिस्तान की चाहर–दिवारी योजनाः– (राज्य पोषित)

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य के अन्तर्गत कब्रिस्तानों की चारदिवारी, पेयजल तथा बिजली आदि की समुचित व्यवस्था किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। शासनादेश संख्या–01/XVII-3/15-07(11)/2014 दिनांक 01 जनवरी, 2015 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक उपयोग में लायी जाने वाली वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित उक्त सम्पत्तियों के संरक्षण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

10. अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः–(राज्य पोषित)

अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक

अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी बालिकाओं को निम्नप्रकार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है:–

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि ₹	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि ₹	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि ₹
हाई स्कूल या मुंशी या मौलवी	₹10000.00	₹15000.00	₹20000.00
इण्टरमीडिएट	₹15000.00	₹20000.00	₹25000.00

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र भरे जाने की कार्यवाही सामान्यतः माह जुलाई–अगस्त से प्रारम्भ हो जाती है। आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नप्रकार है:–

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन योजना–आवेदन का प्रारूप

वित्तीय वर्ष.................................. की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

1. बोर्ड का नाम–
   (क) उत्तराखण्ड बोर्ड
   (ख) मदरसा बोर्ड
2. परीक्षा का नाम– (क) हाईस्कूल (ख)मुंशी (ग)मौलवी
   (घ) इन्टरमीडिएट (ड)आलिम
3. छात्र का नाम..
4. पिता का नाम*–.. माता का नाम*–.............................
5. अभिभावक का नाम–...
6. छात्र का स्थाई पता*....................................... पत्र व्यवहार का पता–...........
   ....
   ....
7. ग्रामीण क्षेत्र ☐ शहरी क्षेत्र. ☐
   (ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹81000.00 एवं शहरी क्षेत्रों के लिए ₹103000.00 परिवार की आय सीमा निर्धारित की गयी है।)
8. जन्म तिथि*– ....
9. मोबाइल नं0*–..
10. वर्तमान वर्ष की 01 जुलाई, को आयु –..

(वर्ष की जुलाई को 20 वर्ष से अधिक न हो)

11. धर्म (मुस्लिम / सिक्ख / इसाई / पारसी / बौद्ध / जैन)* ....
12. जनपद का नाम*..........................ब्लाक*..................Village.......... Town ....
13. माता / पिता / अभिभावक की वार्षिक आय * ....

308

14. विद्यालय / कालेज / मदरसे का नाम जहां से (हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट / मुंशी / मौलवी) की परीक्षा उत्तीर्ण की* ....पता–...............................
....

15. छात्र का बैक खाता संख्या (केवल सीबीएस खाता मान्य) *..
16. बैक का नाम*...
17. बैक आई0एफ0एस0सी0 कोड*..
18. आधार नम्बर*–..
19. परीक्षाफल का विवरण(अंकतालिका के अनुसार)

परीक्षा का स्तर	उत्तीण वर्ष	परीक्षा का बोर्ड	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत

20. वैवाहिक स्थिति*– क)विवाहित ख) अविवाहित..
21. सेवायोजन की स्थिति*– (सेवायोजित / असेवायोजित)......................................

घोषणा–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं एवं विवरण मेरे संज्ञान में सत्य है।

2-मैं अपना आधार संख्या.......................तथा नाम को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सुरक्षित तथा UIDAI के साथ सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

(छात्रा के हस्ताक्षर)

1. मै शपथपूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गई जानकारी सत्य है, यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है, तो मेरे पाल्य का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं हागी। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैने उक्त योजना के अन्तर्गत इस आवेदन को सम्मिलित करते हुए 02 से अधिक पुत्रियों हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(अभिभवक के हस्ताक्षर)

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य हैं।

1. हाईस्कूल / मुंशी / मौलवी उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्कूल / कालेज / मदरसा से प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
2. यदि इण्टरमीडिएट / आलिम परीक्षा के आधार पर आवेदन किया गया है तो इण्टरमीडिएट अंकतालिका की स्कूल / कालेज / मदरसा से प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. बी.पी.एल / आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त)।
4. बैक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट पठ्नीय प्रति (जिसमें बैक खाता, बैंक शाखा का नाम, तथा आई0एफ0एस0सी कोड अंकित हो)।
5. फोटो आई.डी.।
6. अविवाहित होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र।
7. आधार कार्ड की प्रति।

8. अल्पसंख्यक होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र।

नोटः— बी0पी0एल0 परिवारों के लिए बी0पी0एल प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य के लिए तहसीलदार आय प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी हैं।

11. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः—

उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें निम्न प्रकार अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हैं:—

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :—

1. प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु ₹75000/मात्र।
2. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू0 25000/— मात्र।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु :—

उक्त परिक्षाओं में सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगीः—

1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त —रू0 60,000/—मात्र।
2. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू0 20,000/— मात्र।

3. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि

समूह (क)—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाऐं सम्मिलित है :—

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी)
(दो) अखिल भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम)

उक्त संस्थानों/परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि—रु0 60,000 मात्र।

समूह (ख)—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/परीक्षाऐं सम्मिलित है :—

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
(तीन) भारतीय विज्ञान एवं प्रायोगिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता एवं बंगलौर
(चार) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज
(पांच) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (एन.आई.टी) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान
(छः) अखिल भारतीय विधिक परिषद द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं (क्लैट) हेतु।

उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि ₹ 50,000 प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नप्रकार है:—

(366)

उत्तराखण्ड सरकार
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड,
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधाईवाला, देहरादून।

मुख्यमन्त्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

अभ्यार्थी जिस परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन कर रहा है उससे संबंधित बॉक्स में सही ✓ का निशान लगावें।

1.	भारतीय सिविल सेवा परीक्षा	
2.	उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	
3.	उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा	
4.	IIT's, AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s, CLAT,IIM's,IISAR (Kolkata & Bangalore), MCI (Medical Council of India)BCI (Bar Council of India)	

1.	प्रार्थी का नाम				राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो
2.	पिता का नाम				
3.	माता का नाम				
4.	जन्म तिथि				
5.	वर्तमान निवास स्थान का पता दूरभाष न. मोबाईल न. Email-id				
6.	स्थाई पता				
7.	शैक्षणिक योग्यता (सत्यापित प्रति संलग्न करें)				
8.	अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र संलग्न करें)				
9.	स्थाई/मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)				
10.	माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय, अभ्यार्थी की आय यदि है तो को सम्मिलित करते हुये(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)				

			भारतीय सिविल सेवा परीक्षा	उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा	IIT's, AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s, CLAT,IIM's,IISAR (Kolkata & Bangalore), MCI (Medical Council of India)BCI (Bar Council of India)
11.	उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षा का विवरण					
	प्रथम प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष				
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर				
		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण /मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण/साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम चयन)] अंकित करें।				
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण				
	द्वितीय प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष				
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर				

		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीण /मुख्य परीक्षा उत्तीण/साक्षात्कार में उत्तीण (अन्तिम चयन)] अंकित करें।				
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण				
12.	अन्य परीक्षा का विवरण		नाम परीक्षा	संस्थान आदि का पूर्ण विवरण		
13.	अभ्यार्थी यदि राजकीय सेवा में है, तो सेवा का विवरण					
14.	अभ्यार्थी का जिस बैंक में खाता है, उस बैंक का नाम एवं खाता संख्या (बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें) (सी.बी.एस.)		बैंक का नाम एवं ब्राच का नाम			
			खाता संख्या IFSC Code			

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है, अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी तथा योजनान्तर्गत प्राप्त की गई समस्त राशि एक मुश्त मय ब्याज के विभाग को वापिस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होंगा तथा विभाग को मेंरे विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकारी होगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेज :–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका/प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति।
5. प्रतियोगी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
6. पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने /न होने सम्बन्धी विवरण तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग सिविल सेवा परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयार हेतु ही किया जायेगा, सम्बन्धित अभ्यार्थी का शपथ पत्र
6. बैंक पास. बुक की फोटो प्रति। (स्पष्ठ पठनीय)
7. आधार नम्बर यदि हो।

<u>कार्यालय के उपयोग हेतु</u>

1.	प्रार्थी का नाम, अल्पसंख्यक समुदाय व पूर्ण पता अंकित करें।			
2.	प्राप्ति रजिस्टर में आवेदन की प्राप्ति का कमांक एवं दिनांक			
3.	आवेदन के पश्चात आवेदक को स्वीकृत राशि का विवरण एवं स्वीकृत दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अंतिम) किस्त
4.	आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा कराने का दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अंतिम) किस्त
5.	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण दिनांक सहित			

जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
के हस्ताक्षर एवं मोहर

12 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः–

इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत अधिकतम 15 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है।

13. स्वरोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु' (राज्य पोषित)

इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अशिक्षित/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को जिनकी आय ₹ 2.50 लाख एवं आयु 18 से 55 वर्ष है, विभिन्न व्यवसायों हेतु एक लाख से दस लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत ₹ 1.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक की योजना में 25 प्रतिशत अधिक से अधिक ₹ 2.50 लाख अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन किया जाता है, अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के रूप में होती है।

14. मुख्यमंत्री हुनर योजना (राज्य पोषित)

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास करने वाले गरीब अल्पसंख्यकों को, जिनकी आयु 14 से 35 वर्ष एवं वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र ₹3.50 लाख शहरी क्षेत्र ₹4.50 लाख से अधिक न हो, को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है।

15. अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम हेतु अंशपूॅजी (राज्य पोषित)

गरीबी की रेखा से नीचे एवं गरीबी की रेखा से दुगनी आय सीमा के अन्तर्गत जीवन यापन करने वालें अल्पसंख्यक वर्ग के अशिक्षित/शिक्षित युवक–युवतियों को जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है। विभिन्न व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी की धनराशि ऋण के रूप में दी जाती है।

16. मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना'

इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा हेतु ₹5.00लाख तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹1.00 तक निर्धारित है। छात्र–छात्राऐं केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18–35 वर्ष तक है। इस योजना में ऋण की अधिकतम सीमा रू0 5.00लाख निर्धारित है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से संचालित योजनाऐंः–

(अ) टर्मलोन ऋण योजना :– सावधिक ऋण योजना के अन्तर्गत ₹20.00 लाख तक तक की परियोजना लागत पर ऋण दिया जाता है। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है राष्ट्रीय निगम ऋण 6 प्रतिशत और राज्य निगम द्वारा दिया गया ऋण की व्याज दर 7 प्रतिशत है अभ्यार्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष व गरीबी की रेखा से दोगुनी आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98,000/– व शहरी क्षेत्र में ₹1,20,000/– के मध्य होनी चाहिए।

(ब) व्यवसायिक शिक्षा ऋण :– राष्ट्रीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा दोगुनी आय के छात्रों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें प्रति वर्ष ₹50,000/– या अलग–अलग कोर्स की दर से व 5 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा हेतु अधिक से अधिक ₹10,00,000 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराता जाता है।

स्वीकृत ऋण लागत का 95 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश दिया जाता है।

(स) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का इक्विटीः– राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास हेतु रियायती व्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय निगम की इक्वीटी में 65 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार 26 प्रतिशत राज्य चैनेलाईजिंग एजैन्सी का एवं 09 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के विकास में लगे व्यक्तियों/संस्थाओं से लिये जाने का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यालय/विभाग सम्मिलित है, जो अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में स्थापित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनॉक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गयी तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, नें 29 सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपनें गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है। अपनें अल्पकालिक कार्यकाल में आयोग नें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एवं हितों की रक्षा के लिए पूर्ण कटिबद्वता से कार्य किया है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्य :–

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यॉकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
3. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।
4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

2. उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।

राज्य के मदरसो की मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2005 तक उ0प्र0 मदरसा बोर्ड द्वारा ही किया जाता था। राज्य के मदरसों को मान्यता देने एवं मदरसों की परीक्षा कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–813/XVII(1)–3/06– 07(11)/2005 दिनांक 03 अगस्त, 2006 के द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के पर्यवेक्षण में **मदरसा अरबी फारसी बोर्ड** की स्थापना की गई। शासनादेश संख्या 1209/XVII –3/11–07(11)/2005 टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के द्वारा उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के समस्त पदों को समर्पित करते हुए देहरादून में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा अधिनियम सं0–06 वर्ष 2016 के रूप में सर्वसाधारण को 31 मार्च, 2016 को प्राख्यापन के उपरान्त 6 दिसम्बर, 2016 को विधिवत् पूर्ण रूप से गठित किया गया। वर्तमान में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड में समस्त सृजित पदों पर समस्त कार्मिकों की तैनाती कर पूर्ण अस्तित्व में हैं। उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद अपने शासनादेश सं0 1209/XVII –3/11–07(11)/2005 टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 में निहित उद्देश्यों समस्त मदरसों के कार्यों/योजनाओं को संचालित करनते हेतु तत्पर है।

3. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान कलियर, रूड़की।

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 529/स0क0/02–87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से उत्तराखण्ड हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने 18 फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये जाते हैं।

4. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डों की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान में वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत ₹20.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत ₹ 30.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

5. 15–सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून।

माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि '' हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एंव बेहतर 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।'' इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश में भी तैयार किया गया है।

6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल):–

पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है।

उक्त कार्यालयों/विभागों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्न परिषद/निगम आदि की भी स्थापना की गयी है:–

1. <u>उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद का गठन:–</u>

उत्तराखण्ड राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा आर्थिकी उन्नयन किये जाने संबंधी रूपरेखा तैयार करने एवं सुझाव देने के साथ–साथ राज्य पोषित वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी निर्माणाधीन योजनाओं का अनुश्रवण हेतु उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद का गठन किया गया है।

2. <u>उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद का गठन:–</u>

उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन, विभिन्न

विधाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देते हुये स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद"** का गठन किया गया है।

5. वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिबुनल):-

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अधीन वक्फ ट्रिबुनल स्थापित किया गया हैं, जिसमें राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर को तैनात किया गया है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही यथाप्रक्रिया गतिमान है।

4. सेवा का अधिकार के अन्तर्गत विभागीय गतिविधियों के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं एवं कार्य निस्तारण की अवधि:-

(लक्ष्य निर्धारण की सारणी)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित समय		
		जिला स्तर	निदेशालय स्तर	शासन स्तर से बजट अवमुक्ति
1.	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
2.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
3.	संत केशर सिंह योजना राय सिख समाज (मात्र ऊधमसिंहनगर) के छात्रों के संबंध में।	45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
4.	मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
5.	राज्य में संचालित मदरसों को मान्यता (रजिस्ट्रेशन)	90 दिन		बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
6.	अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना	.45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत
7.	मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण योजना	45 दिन	30 दिन	बजट अवमुक्ति बजट पारित होने के 02 माह के अन्तर्गत

5. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रत्येक सेवा–वार पदाभिहित अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण:–

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष एवं ई–मेल	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष एवं ई–मेल
1	2	3	5	6
1.	छात्रवृत्ति योजनाएं	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	श्री रईस अहमद, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2780122 ई–मेल directorminority@gmail.com	श्री कैo आलोक शेखर तिवारी, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2780122 ई–मेल directorminority@gmail.com
2.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–
3.	संत केशर सिंह योजना राय सिख समाज (मात्र ऊधमसिंहनगर) के छात्रों के संबंध में।	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, विकासभवन, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर। 05944–250450	डॉ0 नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, विकासभवन, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर। 05944–242344
4.	मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी	श्री रईस अहमद, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2780122 ई–मेल directorminority@gmail.com	श्री कैo आलोक शेखर तिवारी, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2780122 ई–मेल directorminority@gmail.com
5.	राज्य में संचालित मदरसों को मान्यता (रजिस्ट्रेशन)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड	श्री कैo आलोक शेखर तिवारी, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2780122 ई–मेल directorminority@gmail.com	श्री कैo आलोक शेखर तिवारी, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2780122 ई–मेल directorminority@gmail.com
6.	अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक	श्री सत्येन्द्र सिंह, महाप्रबन्धक, अ0 कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2788723 ई–मेल alpsankhyak1@gmail.com	श्री धीरेन्द्र सिंह दताल, प्रबन्ध निदेशक, अ0 कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। 0135–2788723 ई–मेल alpsankhyak1@gmail.com
7.	मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण योजना		–तदैव–	–तदैव–

1. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
2. सेवा का अधिकार, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्रापत आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
3. सेवा उपलबध कराये जाने में असफल रहने/विलम्ब करने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय/कार्मिक को दण्डित करते हुए क्षतिपूर्ति करायी जायेगी।
4. सेवा प्राप्ति हेतु आवेदन उक्तानुसार संबंधित विभाग/कार्यालय के पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा परेशानी/जानकारी के अभाव में उक्तानुसार विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

7. नागरिकों के अधिकार:

1. सूचना प्राप्ति के अधिकार के लिए राज्य व जनपद स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है, जबकि विकासखण्ड व संस्थाओं के स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है, जिससे पारदर्शिता रहे तथा योजनाओं की जानकारी भी आम जनमानस को हो।
2. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था प्रणाली के अन्तर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तथा सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
3. विभाग की सेवाओं का लाभ आवेदक को बिना किसी अवरोध के मिल सके, इसके लिए योजनाओं के प्रारूप/प्रमाण पत्र सरलीकृत किये गये है।
4. विभाग का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को सेवायें देना है तथा विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है।

8.जनता से अपेक्षा:

उचित लाभार्थी चयन, लाभ पहुंचाने एवं योजनाओं की जानकारी बढ़ाने में निरन्तर सहयोग की अपेक्षा, वृद्धजनों, अल्पसंख्यकों को सभी स्तर पर सहयोग व सहायता करने की अपील।

विभाग द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र का विवरण:–

जन शिकायतों का निस्तारण।

1. शिकायतों की प्राप्ति की स्वीकारोक्ति:– 15 दिन

2. शिकायतों की प्राप्ति का स्थान:– संबंधित विभाग/कार्यालय

(1) शासन स्तर– प्रमुख सचिव/सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिवालय स्थित कार्यालय।

(2) निदेशालय स्तर:–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून/निदेशक, मदरसा बोर्ड, देहरादून/प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून/सचिव,